	मुन्तकिली प्रकरण संख्या 108/2017 अनवानी 1. रामकुमार पुत्र नंदराम जाति नायक साकिन चक 10 के डब्ल्यू एम तहसील घडसाना 2. माया देवी 3.शांति देवी वगैरह <u>बनाम</u> 1. उपखण्ड अधिकारी, घडसाना, 2. रणजीत कौर पत्नि गुरदेव सिंह जाति नाई सिख साकिन चक 8 केडब्ल्यूएम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर **<u>17.01.2018</u>** प्रार्थीगण रामकुमार, माया देवी, शांति देवी व उनके अभिभाषक श्री अरविन्द जाखड़ व श्री भगतसिंह को रूक रूक कर बार–बार आवाज लगाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये और न ही प्रार्थीगण की ओर से अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित आया है। मैने पत्रावाली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के न्यायालय में लम्बित स्मालपेच आवंटन पत्रावली संख्या /2017 अनवानी माया देवी आदि बनाम सरकार में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तिकल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण व उसके अभिभाषक श्री अरविन्द जाखड व श्री भगत सिंह को बार–बार आवाज लगाने पर उपस्थित नहीं आये है जिससे प्रतीत होता है कि अब प्रार्थीगण को अपने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घडसाना को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official